न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2542–तीन/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 06–07–2015 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार परगना राजगढ़, जिला–राजगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 219/बी–121/2014–15

.....

दीपचन्द्र पुत्र स्व0 रामप्रसाद पुरोहित
निवासी–ग्राम कोड़कया, तहसील–जीरापुर
जिला–राजगढ़ .....आवेदक

विरूद्ध

1– लक्ष्मीनारायण आत्मज रघुनाथ मंडलोई
निवासी–जीरापुर, जिला–राजगढ़
2– राजेन्द्र कुमार पुत्र सत्यनारायण विजयवर्गीय
निवासी–राजगढ़ तहसील व जिला–राजगढ़
3– हजारी पुत्र गोदड़
निवासी–राजगढ़ तहसील व जिला–राजगढ़
4– दिनेश पुत्र स्व0 रामप्रसाद पुरोहित
निवासी–ग्राम कोड़कया, तहसील–जीरापुर
जिला–राजगढ़ .....अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 07 सितम्बर 2015 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार परगना राजगढ़ जिला–राजगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–07–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा तर्क दिया कि अनावेदक कमांक 1 ने कलेक्टर राजगढ़ के समक्ष इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि आवेदक के हित में अनावेदक कमांक 3 के पिता द्वारा किया गया विकय की गयी भूमि शासकीय पट्टे की भूमि थी। कलेक्टर ने उक्त आवेदन को जांच हेतु तहसीलदार राजगढ़ को भेजा गया। तहसीलदार के समक्ष कार्यवाही में पटवारी से जांच प्रतिवेदन मंगाया जिसपर पटवारी ने दिनांक 17–4–2015 को अपना जांच प्रतिवेदन तैयार कर दिनांक 23–4–2015 को तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आवेदक ने प्रतिवेदन का अवलोकन किया जिसमें विसंगतियां होने के कारण आवेदक ने इस आशय का आवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया कि पटवारी ने प्रतिवेदन दिया है उन्हें साक्षी के रूप में बुलाया जाये जिसमें प्रतिवेदन में वर्णित तथ्यों पर पटवारी का परीक्षण किया जा सके। तहसीलदार ने दिनांक 06–7–2015 को आदेश पारित करते हुये आवेदक का उक्त आवेदन पत्र बिना कोई कारण दर्शाते हुये अस्वीकार कर दिया जबकि आवेदक एवं अनावेदकों को पटवारी प्रतिपरीक्षण में कोई आपत्ति नहीं थी।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य तहसीलदार की आदेश पत्रिका की सत्यपित प्रति का अवलोकन किया। तहसीलदार ने अपने आदेश में यह अंकित किया है कि आवेदक एवं अनावेदकगण द्वोनों ही पक्ष पटवारी के प्रतिवेदन का न्यायालय में प्रतिपरीक्षण करने हेतु तलब कराना चाहते हैं, परन्तु तहसीलदार ने मात्र इस आधार पर कि पटवारी प्रतिवदेन मात्र प्रकरण के शीघ्र निराकरण के लिए मंगाई थी इस कारण आवेदक का आवेदन निरस्त किया जाता है, वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता क्योंकि जब दोनों ही पक्ष पटवारी के कथन का प्रतिपरीक्षण करना चाह रहे थे तब प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से तहसीलदार को विधिवत पटवारी के प्रतिवेदन का न्यायालय में प्रतिपरीक्षण कराना चाहिए था। अतः तहसीलदार को निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि प्रकरण में

प्रस्तुत पटवारी प्रतिवेदन का न्यायालय में प्रतिपरीक्षण उभय पक्ष के समक्ष करने के उपरांत ही साक्ष्य रूप में ग्रहण किया जाए तथा प्रकरण में उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण करें।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर